छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 430/2007

श्री सुनील नन्दी,
चौबे एसोसिएट्स,
सिटी कोतवाली के पीछे, दुर्ग
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 10 अगस्त 2007)

अपीलार्थी श्री सुनील नन्दी द्वारा जन सूचना अधिकारी जिलाधीश कार्यालय, दुर्ग को दिनांक 21–09–2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम–1951 तथा वैधीकरण अधिनियम–1964 की धारा–34(1) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग को लोक पंजीयक, दुर्ग द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावे। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग से चाही गई। अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग के द्वारा सीधे आवेदक को सूचित किया गया कि संबंधित आदेश एवं अभिलेख अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बाद में आवेदक को कलेक्टर, दुर्ग के आदेश क्रमांक 4044/वि.लि.प्र. दिनांक 24–03–2007 की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई, जिसके द्वारा कलेक्टर ने पंजीयक लोक न्यास के समस्त अधिकार एवं शक्तियाँ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सर्व जिला–दुर्ग को प्रत्यायोजित की है। अपीलार्थी ने निर्धारित अवधि में जानकारी उपलब्ध न कराने के कारण प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 22–01–2007 के द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेखों पर विचार किया गया। प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियों के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही थी। उक्त अभिलेख जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं हुआ। अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग कार्यालय में ही उक्त अभिलेख उपलब्ध न होना बतलाया। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दि. 03–10–2006 को सूचित किया गया कि संबंधित आदेश अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जिला कार्यालय में भी उपलब्ध न होने की सूचना संबंधित शाखा के प्रभारी के द्वारा पत्र दिनांक 25–11–2006 को जन सूचना अधिकारी को प्रदान की। साथ ही

दिनांक 02–01–1979 के कार्यविभाजन के आदेश की प्रतिलिपि प्रदान की, जिसमें कि अनुविभागीय अधिकारियों को लोक न्यास अधिनियम से संबंधित कार्य आबंटित किया गया है। अपीलार्थी का यह तर्क है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन एवं कार्य आबंटन दोनों पृथक–पृथक विषय हैं। शक्तियों के प्रत्यायोजन का आदेश स्पष्ट रूप से अधिनियम के अंतर्गत जारी होता है। प्रकरण में आई तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टोरेट कार्यालय में लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीयक द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों का आदेश उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। कार्यालय में उपलब्ध कार्य विभाजन आदेशों की प्रति एवं आदेश दिनांक 24–03–2007 की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है। चूँकि अपीलार्थी ने दिनांक 21–09–2006 को आवेदन दिया था तथा निर्धारित अवधि में दिनांक 03–10–2006 को अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया कि वांछित आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत वही अभिलेख प्रदत्त किये जा सकते हैं, जो कि लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध हों। दिनांक 24–03–2007 के आदेश द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन की प्रतिलिपि निर्धारित अवधि के बाद उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि उसका आदेश ही निर्धारित अवधि के पश्चात् जारी किया गया है। इस आदेश का वैधानिक रूप से प्रकरणों में क्या प्रभाव होगा, इसका निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार आयोग का नहीं है और न ही आयोग कार्य विभाजन के आदेश के संदर्भ में कोई टिप्पणी कर सकता है। आयोग का क्षेत्राधिकार केवल सूचनाओं की उपलब्धता के संबंध में है। चूँकि अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में वांछित अभिलेख उपलब्ध न होने की सूचना दे दी गई थी, अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। लोक प्राधिकारी के कार्यालय में यदि आदेश उपलब्ध नहीं है तो जन सूचना अधिकारी आदेश के उपलब्ध न होने की सूचना नियमानुसार आवेदक को देना चाहिये, जो कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को दी गई। अतः अपीलार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है कि उसे भ्रामक तथा अधूरी सूचना दी गई है।

3/ अतः अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त